is right. Therefore, we are here discussing the case of trade union workers and if a trade union worker is victimised, it is unjustified. There is no question of further defining that matter.

Legislation for providing job reservations for SC and ST

63. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring forward a legislation for job reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as a matter of right instead of depending on executive orders;

(b) whether a job reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be filled up only by a suitable candidate from amongst them and not classified as general in any case; and

(c) if so, by when the legislation is likely te come before Parliament?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) The Government have decided to bring forward the legislation for reservation of vacancies in posts and services in Central Government establishments for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This Legislation shall provide that vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be filled only by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates with only such exceptions as may be laid down.

(c) The legislation is likely to be introduced in the Current session of Parliament.

कुमारी सरोज खापर्डे: महोदया, मैं तो आज यही समझकर आयी सदन में कि शायद मेरे इस सवाल का जवाब हमारे होम मिनिस्टर साहब देंगे। लेकिन आने के बाद पता चला कि राम विलास जी दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता होती कि रिक्त स्थान उप प्रधान मंत्री जी का अगर आपको मिल जाता और उस नाते अगर आप सवाल का जवाब देते तो मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन इसके बावजूद भी....(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: ऐसा लगता है सरोज जी आप रोज केबिनेट रीसफल कर रही हैं

She is not the leader of the National Front to distribute portfolios every day.

कुमारी सरोज खापर्डे: महोदया, इसके बावजूद भी मैं श्री राम विलास पासवान जी को बहुत-बहुत बधाईयां देती हूं और अपनी शुभकामनायें देती हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us discuss unemployed SC / ST which is the question and not the already employed ones.

कुमारी सरोज खापर्डे: मैं उस मुद्दे पर आ रही हूं। मुझे खुशी है मंत्री जी का जवाब सुनकर की प्रधान मंत्री जी ने और उनकी सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया है। मैं प्रधान मंत्री जी का भी सदन में विशेष स्वागत करुंगी क्योंकि उन्होंने इस प्रस्ताव को मान लिया है और साथ ही साथ सदन में बैठे हुये सारी पार्टीज के सदस्य भी इस बेचैनी से इस बिल का इंतजार भी कर रहे हैं। महोदया, लेकिन मुझे सरकार से एक सवाल आपके माध्यम से पूछना है कि क्या आपकी सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जो प्रतिरक्षित नौकरियां हैं वह केवल इन जातियों के ही धनाढ्य और पैसे वाले लोगों को, हमेशा अनुभव यही रहा है कि उपलब्ध होती हैं कहीं वह इसे हथिया न लें, बल्कि इनमें से जो गरीब से गरीब इंसान हैं उस गरीब को भी इसका लाभ उठाने का मौका मिलेगा? और साथ में इस बात का भी सरकार ध्यान रखेगी कि एक बार जो व्यक्ति रिजर्वेशन का फायदा उठा लेता है उस व्यक्ति को तब तक दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिये, नहीं दिया जाना चाहिये जब तक कि दूसरे व्यक्ति का नम्बर नहीं आता।

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, सरोज खापर्डे जी बहुत ही अनुभवी हैं और सारी चीज को जानती हैं और मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के संबंध में तो काफी जानकारी और है। लेकिन प्रश्न है कि आपने जो सवाल उठाया है, आप देखें कि भारत सरकार की स्थिति क्या है? भारत सरकार की जो सेवायें हैं उसमें क्लास-ए और बी, ए में अनुसूचित जाति का केवल 8 प्रतिशत कोटा अभी तक पूरा हो पाया है और द्वितीय श्रेणी में केवल 11 प्रतिशत कोटा पूरा हो पाया है। शेड्यूलड ट्राइब्स के प्रथम श्रेणी में 2.24 परसेंट हैं, द्वितीय श्रेणी में दो परसेंट है और तृतीय श्रेणी में उसका 4 परसेंट है, चतुर्थ श्रेणी में भी कोटे के मुताबिक नहीं है 6 परसेंट से ऊपर नहीं है। जो सार्वजनिक उपक्रम है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स के क्लास वन में 5 परसेंट है, द्वितीय

श्रेणी में 7 परसेंट है। अनुसूचित जनजाति के केवल एक परसेंट है क्लास-वन पोस्ट पर और क्लास दो पोस्ट पर दो परसेंट है। जो बैंकिंग डिपार्टमेंट हैं उनमें शेड्यूल्ड कास्टस के क्लास-वन पोस्ट पर 7 परसेंट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 1.97 परसेंट हैं। शेडयूल्ड कास्टस के अमीर-गरीब सब मिलाकर 5-6 परसेंट हैं और इसमें से भी आप कहते हैं कि अमीर को हटा दीजिए। जिसको एक बार मौका मिला है उसको हटा दिया जाए यह प्रश्न तो तभी उत्पन्न होता है जब उनका 15 परसेंट का कोटा पूरा हो जाता है और शेडयूल्ड ट्राइब्स का साढ़े सात परसेंट का कोटा पूरा हो जाता है। कोटा पूरा किये जाने की सरकार की मंशा है कि 14 अप्रैल, 91 तक हम उसको पूरा करेंगे और हम उसके लिए कानून ला रहे हैं। हमने उसमें दंड का विधान रखा है। जब यह पूरा हो जायेगा तब हम कोशिश करेंगे कि अनुसूचित जाति, जन जाति में से जो गरीब लोग हैं उनको पहले मौका दिया जाए। अभी अमीर-गरीब मिल कर जो 50 परसेंट तक हैं उनमें से 15 में से 7 परसेंट तक पहुंचे हैं और यदि उनको हटा दिया जायेगा तो उनका सब कुछ जीरो हो जायेगा और इसका लाभ दूसरों को मिल जायेगा।

कुमारी सरोज खापर्डे: माननीय मंत्री जी का जवाब सुनने के बाद मैं बहुत प्रभावित हो जाती हूं इसलिए उनको जितनी बधाई देना चाहूं वह भी कम पड़ेगी। इनके जो अटेंसेज ऑन द फ्लोर आफ द हाऊस हो जाते हैं इस समाज के प्रति जो वाकई मुझे कई बार डा० बाबा साहेब अम्बेडकर की याद दिलाते हैं। इसलिए मैं हमेशा उनके लिए अपने मन में बड़ी भावना रखकर बात करती हूं।

मैं सप्लीमेंटरी के द्वारा एक सवाल पूछना चाहती हूं कि इस सरकार से कि यह उचित नहीं होगा कि इसमें जो निम्नतम श्रेणी के लोग माने जाते हैं, जैसे भंगी समाज के लोग हैं, सदियों से अपने सिर पर मैल ढोते ढोते जिन्दगी जी रहे हैं तो क्या उनके लिए भी किसी प्रकार का कोटा आपकी सरकार निश्चित करने जा रही है या सोच रही है? अगर इस तरह का कोटा देने की बात आपकी सरकार सोच रही है तो उन लोगों के बारे में कोटे की प्रतिशत क्या रहेगी यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री राम विलास पासवान: महोदया, जहां तक सफाई मजदूरों का सवाल है उनकी समस्याएं काफी विकट हैं। विकट ही नहीं हैं बल्कि आप इसी पार्लियामेंट के बाहर जाकर जो सफाई मजदूर सफाई का काम करते हैं उनसे जाकर पूछें कि तुम्हारा वेतन कितना है तो वह कहेगा डेढ़ सौ रुपये वेतन हैं। उनमें से मुश्किल से कुछ प्रतिशत हैं जिनको अभी तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। जितने सफाई मजदूर हैं चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों, भंगी के नाम से जाने जाते हों, वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हों, मेहतर के नाम से जाने जाते हों, वे काम करते-करते मर जाते हैं। सब की सफाई करते हैं और सबसे गंदी बस्ती में रहते हैं लेकिन इतनी सेवा करने के बाद उनकी कोई रिटायरमेंट नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसको सरकारी कर्मचारी माना ही नहीं जाता है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, स्वीपर हैं, सफाई मजदूर हैं हम उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। जब सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे तो वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी जो दूसरे सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं।

दूसरी बात यह है कि उनको छोटा क्यों माना जाता है। केवल इसलिए माना जाता है कि उसके साथ में गंदे काम को जोड़ दिया गया है। आज भी आजादी के 43 साल बाद सर पर पाखाना उठाने का सिस्टम चल रहा है। हम को चाहिए था कि आजादी के तुरन्त बाद सबसे पहले यदि कोई काम होना चाहिए था तो पहला काम नम्बर वन प्रियोरिटी देकर रखना चाहिए था कि इस देश में आदमी का पाखाना कोई आदमी ढोने का काम नहीं करेगा, मरे हुए जानवर को ढोने का काम कोई इंसान नहीं करेगा । उसके लिए नयी तकनीक शुरू की जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाया। हमने निर्णय लिया है। जब इस सदन में सवाल पूछा गया था तब मैंने कहा था 3900 छोटे-बड़े शहर हैं जहां आज भी आदमी पाखाना सर पर ढोने का काम करता है।

श्री राम विलास पासवान: उससे बचने के लिए वह कभी शराब पीता है और कभी कोई और चीज पीता है क्योंकि नार्मल आदमी पाखाना उठा नहीं सकता । इसलिए वह छोटा भी माना जाता है। अब हमने निर्णय लिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के सेंटनरी ईयर में हम इस कार्यक्रम को प्राथमिकता देंगे कि सिर पर पाखाना उठाने की स्कीम को खत्म करके एक तीन साल्ल योजना बना करके जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको दूसरे काम में लगायेंगे क्योंकि अगर हम उसको दूसरा काम नहीं देंगे तो वह फिर उसी काम पर चला जाएगा। पुरानी लेट्रीन्स के बदले में फ्लश की लेट्रीन्स बनाने की व्यवस्था की जाएगी और जो मजदूर उसमें लगे हुए हैं, सफाई मजदूर, उनको जितनी दूर तक हो सकेगा सरकारी नौकरी में एबजोर्व करेंगे और सरकारी नौकरी नहीं दे पायेंगे तो उनको अपने पांवों पर खड़े होने के

लिए छोटे छोटे उद्योग धन्धे चलाने का अवसर देंगे। ये सारी स्कीम बना करके एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएंगे और पहले साल में हम एक हजार शहरों को इससे मुक्त करेंगे और तीन-चार साल में पूरे देश को हम ले सकेंगे। इसमें पैसे का अभाव है। हमारे पास पैसा हो तो एक साल में हम इसको खत्म कर सकते हैं। पैसे की कमी के कारण तीन-चार साल की योजना बना करके चलेंगे। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इस कलंक को मिटाने के लिए कटिबद्ध है और आदमी अपने सिर पर आदमी का पाखाना उठाये, इस कलंक को खत्म करने के लिए हम कटिबद्ध हैं।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, again the subject of Scheduled Castes is being discussed. The day before yesterday I put a question on reservation on filling up of the backlog. That was referred to the Personnel Ministry. That Personnel portfolio was being held by the Prime Minister. I do not know maybe because of Saroj's influence, because Saroj asked the Prime Minister yesterday to make Paswanji the Deputy Prime Minister, that subject has been transferred to Paswanji today. Anyway, one step further. Yesterday my subject was with the Prime Minister, but today Saroj's question on the same issue of filling up of the backlog of the Scheduled Castes is transferred to the Welfare Ministry. This is the influence of Saroj on the present Government, or whatever it is. Coming to the question, Madam, *.(Interruption)...*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Was it transfer or influence?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It was influence, because, of our plight...*(Interruptions)*... I am sorry, it was not transferred. Actually my question was restored to the Personnel Ministry, to be answered by the Prime Minister. Unfortunately, it was not reached, but a question by Saroj Khaparde on the same subject now is listed to be answered by Paswanji. That is my question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are we discussing the transfer of the question or the question itself?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am only prefacing the question. Coming back to the question, the hon. Minister has reeled out the figures in clause (a) of the Reservation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is a deadlock in increasing the number created by the Government Order itself. Is he going to withdraw the Government Order or modify it? That is part (a) of my question. The second is, according to the reply given to me just two days before by the Government, as many as 16,000 vacancies are existing in the Government of India services, including the public sector undertakings. And the present rule says that while filling up the backlog, more than 50 per cent you should not recruit the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. If 14.4.91 is to be applied, as the Minister claims that he will fill up all the backlog by that date, it cannot be done. Is he going to amend these two existing clauses in order to fulfil the promise?

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य श्री हनुमनतप्पा जी बहुत ही पुराने साथी हैं वे सब जानते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि वे भूल कैसे जाते हैं। यह विभाग पहले होम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत था, किन्तु हमको पता नहीं है कि प्रिवियस गवर्नमेंट ने किस इरादे से इसको होम मिनिस्ट्री से निकाल करके श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी को दे दिया। स्टेट मिनिस्टर फार वेलफेयर को यह महकमा दे दिया गया। यह बात हमसे क्यों पूछ रहे हैं?

श्री ऐच० हनुमनतप्पा: परसों मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर के साथ था, आज यह वेलफेयर मिनिस्टर के पास कैसे आ गया?

श्री राम विलास पासवान: यह बात आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, इसका जवाब आपको श्री शिव शंकर जी दे देंगे।

श्री पी० शिव शंकर: पासवान जी ने जो कुछ कहा है, सही है। स्पेशल मिनिस्ट्री कायम करके इस पर ज्यादा अटेंशन दिया जाये इस वास्ते इसको वेलफेयर में ट्रांसफर किया गया।

श्री राम विलास पासवान: बार बार इस सवाल को उठाकर....

श्री पी० शिव शंकर: प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं इसको। यह सही है कि ऐसा हुआ था।

श्री राम विलास पासवान: बार बार इस सवाल को उठा करके इस महकमे को...

श्री पी० शिव शंकर: पासवान जी, हम तो अभिनन्दन करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं कि यह आपके जिम्मे है।

श्री राम विलास पासवान: इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारी पार्टी की बात नहीं है। इसीलिये मैं शिव शंकर जी को, जो कानून के वेत्ता भी हैं, उनको बीच में रखना चाहता हूं। सरकार ने जब इसको किया होगा तो इसको अच्छा समझकर किया होगा। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ज्वाइंट रिस्पांसबिलिटी है और जो चीज हम यहां कहते हैं, यह केवल वेलफेयर मिनिस्ट्री का निर्णय नहीं होता, बल्कि यह सरकार का और सरकार का जो मुखिया होता है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि कोई भी सरकार जो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में होती है तो उस सरकार को बनाने वाले जो एम०पी० हैं उनको जनता चुनती है । और वे एम०पी० प्रधानमंत्री को चुनते हैं और प्रधानमंत्री की जो नीयत होती है वह जनता की नीयत होती है। ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No interruptions, please. He is answering it because the Member also referred to it. The Member referred to it and, therefore, he is answering it as a clarification.

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, पहली सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 31.10.89 तक का हम तमाम बैकलाग पूरा कर देंगे। मैं यह समझता हूं कि उस सरकार के सामने जरूर कुछ कठिनाइयां रही होंगी, इसीलिये इन कठिनाइयों का निवारण करने के लिये, जो सरोज खापर्डे जी का मेन प्रश्न है, इसके लिये सेंट्रल लेजिस्लेशन फार दि रिजर्वेशन, इसको हम लाने जा रहे हैं। इसमें पहली दफा हिन्दुस्तान के इतिहास में हमने दंड का विधान रखा है। पहली दफा संविधान की धारा 323(ए) के अन्तर्गत हम स्पेशल ट्राइब्यूनल भी बहाल करने जा रहे हैं। तो जब ये चीजें हो जायेंगी, अभी तक दंड का विधान नहीं था। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट आदेश, जी०ओ० से काम चलता था। इसके बदले अब हम लेजिस्लेशन लाने जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत जो अधिकारी इसको नहीं करेंगे, उनके लिये दंड का विधान रखा गया है। कुछ एक पद ऐसे जरूर होंगे जो कि बिल्कुल तकनीकी पद होंगे। जैसे पायलट का है, दूसरे और पद हैं जहां पर कहा जा सकता है कि नहीं आ सकते हैं। लेकिन इनके लिये भी हम कोशिश करेंगे और इसके लिये स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था करके जो ट्राइबल्स एरियाज हैं, जो शैड्यूल्ड कास्ट एरियाज हैं वहां पर उनके लिये, व्यापक पैमाने पर ट्रेनिंग की व्यवस्था, उम्मीदवारों के लिये उपलब्ध करायेंगे और इस प्रकार से हम इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: While filling up the backlog you cannot go beyond 50%. How do you overcome that?

श्री राम विलास पासवान: इस पर हो चुका है हनुमन्नतप्पा साहब, कहीं पर 50 परसेंट का सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी के द्वारा रेखा नहीं खींची हुई कि 50 परसेंट ही होनी चाहिये। तमिलनाडु में 69 परसेंट है। 30 परसेंट बैकवर्ड क्लास के लिये, 30 परसेंट अति बैकवर्ड क्लास के लिये, 15 परसेंट शैड्यूल्ड कास्ट के लिये...

श्री हेच० हनुमनतप्पा: आपने सवाल ठीक तरह से नहीं समझा।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): अगर कोई जुडीशियरी का फैसला रास्ते में आता है तो आपके सहयोग से लेजिस्लेचर का उपयोग करके रास्ते के रोड़े को हटा दिया जायेगा।

श्री राज मोहन गान्धी: महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस मंजिल पर पूरा देश पहुंचना चाहता है, यह बैकलाग न रहे, रिजर्वेशन के पद पूरे भरे जाएं, इस मंजिल पर हमें दो सिरे से पहुंचना है, यह आपका वायदा है, सरकार का कमिटमेंट है और इसके लिये आपने तारीख भी दे दी है। लेकिन जो दूसरा सवाल है, जैसा कि आपने उल्लेख किया है ट्रेनिंग का, तो क्या इसके लिये सरकार इस सुझाव पर ध्यान देगी कि एक कमीशन नियुक्त किया जाये जो इस मामले पर गहराई से जाये कि अप्लीकेंट क्यों नहीं पूरी संख्या में आ रहे हैं, क्या नीचे से सबोटाज हो रहा है, क्या उनकी पढ़ाई में कोई कमी है, क्या हम शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के जो मां-बाप हैं उनको समझा नहीं पाये हैं कि आप इस चीज के लिये अपने बच्चों को भेज सकते हैं, इतना उनका पोटेंशियल है। एप्लीकेंट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए, बैकलाग को पूरा करने के लिए यह जो ट्रेनिंग का मसला आपने उठाया है, जिसका उल्लेख किया है और भी शिक्षा का

सवाल है या दूसरी अड़चनें आ रही हैं, इनका अच्छी तरह से गहराई से अध्ययन करने के लिए क्या आप कोई कमीशन की नियुक्ति करने के बारे में सोचेंगे?

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, अलग से कमीशन की नियुक्ति करने का कोई इरादा नहीं है और न ही इसका कोई फायदा है। जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन है जिसको हमने संवैधानिक दायित्व दिया है, वह इसके लिए सफिशियेंट है। मैं राज मोहन गान्धी जी को यह बताना चाहूंगा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के उम्मीदवार अवेलेबल नहीं है, ऐसी बात नहीं हैं, सूटेबल भी नहीं हैं, ऐसी बात भी नहीं है। सिर्फ नीयत की कमी है। कुछ-एक जो टेक्नीकल विभाग हैं या डिपार्टमेंट हैं उनके विषय में मैंने कहा कि जरूर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसके लिए अभी कर्मचारी चयन आयोग है। कर्मचारी चयन आयोग में हम लोगों ने कह दिया है कि इस तरफ ट्रेनिंग दीजिये और इसके परिणाम स्वरूप पिछले 6 महीनों में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के 6 हजार नौजवान टाइपिस्ट की ट्रेनिंग पा कर के एक्सपर्ट हो गये हैं। हम तरह की व्यवस्था शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज़ में कर दें जहां उनको रेडियो तकनीकी का ज्ञान, इलेक्ट्रोनिक्स का ज्ञान और गांव में प्रयोग में आने वाले साइकिल से ले कर ट्रेक्टर तक को ठीक करने का ज्ञान दे सकें और इस तरह की व्यापक पैमाने पर पूरे देश में उनको ट्रेनिंग देने का काम करें। पांच फुट सात इंच के शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को तीन चार सौ रुपया महीना दे कर ट्रेनिंग दे कर जहां कहीं भी पुलिस की भर्ती हो, बी॰ एस॰ एफ॰ की भर्ती हो और सी॰ आर॰ पी॰ एफ॰ की भर्ती होती है, यदि वह कहेंगे कि हम को उम्मीदवार नहीं मिलता है तो हम उनको कहेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर में लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं आप उनको ले जाइये। इस प्रकार से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पोस्ट रहेगी जहां हमारा शैड्यूल्ड कास्ट का लड़का नियुक्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा शैड्यूल्ड कास्ट का लड़का योग्य नहीं है, वह योग्य भी है और अवेलेबल भी है। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं होता है कि किसी के पास में नहीं था। इन सारी चीज़ों के बावजूद उसको लिया नहीं जाता था। उसके लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन लाने जा रहे हैं। इसलिए दूसरा कमीशन बनाने का कोई इरादा नहीं है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Shiv Shanker.

SHRI P. SHIV SHANKER: Madam, part (b) of the question says that the posts meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should not be classified as general because this introduces the carry-forward rule which the Prime Minister is very well aware of. This rule has been playing havoc with the Scheduled Castes and Tribes. Those of us who had the will did not agree with this carry-forward rule for the recruitment. But this is a very evasive rule and it give a hand to the bureaucrats to avoid filling up of the posts by the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. I would like to have an assurance from the honourable Minister whether the carry-forward rule itself will be reviewed and, if necessary, will be done away with totally.

Secondly, in the law that is being brought forward, I would like to have an assurance that no carry-forward rule will be inserted.

Thirdly, in the order that is being issued for the benefit of the backward classes, about which the honourable Prime Minister had been pleased to make a very clear announcement, I would like to have an assurance that there will not be any carry-forward rule.

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, जहां तक कैरी-फारवर्ड का मामला है और जहां तक डिरिज़र्वेशन का मामला है, पहली सरकार ने उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया था। अभी दो महीने पहले प्रधानमंत्री जी के आदेश से इस पर रोक लगा दी गई है। अब कोई भी पोस्ट डिरिज़र्व नहीं होगी उसके बाद हमने यह भी लिखा है कि यदि आप कहते हैं कि उम्मीदवार नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का उम्मीदवार ले सकते हैं। यदि फिर भी कहते हैं कि सैड्यूल्ड कास्ट या शैड्यूल्ड ट्राइब्स का उम्मीदवार नहीं मिलता है, यदि किसी की सेवा अवधि आपने पांच साल रखी है और देख रहे हैं चार साल किसी की सेवा अवधि होने वाली है तो उसको एक साल वहीं रोक कर रखिये। यह सारे के सारे प्रावधान हमने किये हैं। यदि फिर भी कोई चीज़ बच जाएगी तो आपसे सलाह मशविरा ले कर उस छेद को बंद कर देंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: उपसभापति महोदया, इस

SHRI P. SHIV SHANKER: The Minister may kindly look into this because some of us were of the conviction that we should never allow this carry-forward rule. That is why I was very keen about it.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Shiv Shankerji must be remembering it. Well, it is in his knowledge. So I don't have to inform him. I did one thing which worked effectively. In U.P., what I have done is that in Government service there is no question of carry-forward. If in an interview there are no candidates of adequate qualifications, I said that within six months there should be another interview only for SC and ST candidates and the posts be filled. That was very effective. Therefore, a fresh backlog was not created, though for the past backlog you had to take extra measures. I do not say: Ditto, I can copy it here. But we are well aware to take measures so that such a backlog is not created.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Allotment of rice to Karnataka

*64. SHRI H. HANUMANTHAPPA:
SHRI VITHALRAO
MADHAVRAO JADHAV:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what was the quota of rice released to Karnataka during 1988-89, 1989-90. 1990-91 monthwise;

(b) whether the quota has been reduced in the recent months; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) A statement giving the information is laid on the table of the House. *(See* below)

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Statement

(a) Allotment of rice to Karnataka under P.D.S. during 1988-89, 1989-90 and 1990-91, monthwise, was as follows:—

(In '000 tonnes)

MONTH	1988-8	9 1989-	1990-91
April	55.0	00 40.0	50.0
May	55.0	40.0	50.0
June	45.0	40.0	50.0
July	45.0	40.0	50.0
August	45.0	40.0	50.0
Septembe	45.0	40.0	
October	50.0	40.0	
November	50.0	60.0	
December	50.0	40.0	
January	50.0	50.0	
February	40.0	50.0	
March	40.0	50.0	

Capart funds for Herbal Medicine Projects

65. SHRI **B.K.** HARIPRASAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that Council for Advancement of Peoples Action for Rural Technology (CAPART) is doing out huge funds to various voluntary organisations to start herbal medicine projects; if so, the details thereof indicating the amount distributed during the last three years;

(b) whether any criteria have .been laid down for such funding and if so, the details thereof;

(c) whether there is any effective mechanism for monitoring and evaluation of such projects; and

(d) if so, whether the funds are released after evaluation and scrutiny by